तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./1546/2006/पाली</u>** **श्रीमती कमला व अन्य बनाम रतन सिंह व अन्य**	
20-9-19	**<u>एकल–पीठ</u>** **श्री सतीश चन्द्र गोदारा, सदस्य** **उपस्थितः–** श्री जी.एस.लखावत अभिभाषक प्रार्थी श्री गौरव दवे अभिभाषक अप्रार्थी **<u>निर्णय</u>** यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सोजत के आदेश दिनांक 14–12–05 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। जिसके द्वारा प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 10जाब्ता दीवानी खारिज किया गया है। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि स्वयं अप्रार्थी वादी ने अपने वाद पत्र में पूर्व वाद संख्या 74/96 जो अन्य सहखातेदार द्वारा दायर किया हुआ है उसका अंकन पैरा संख्या 1 में किया है। इससे यह तथ्य साबित है कि पूर्व वाद लम्बित है। इस कारण उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा पारित निर्णयय पूर्णतया तथ्यों का गलत विवेचन कर पारित किया गया है। एक हिस्सेदार द्वारा वाद दायर किया हुआ है जिसका हिस्सा भी इस भूमि में है अब नया दावा मात्र एक हिस्सेदार को छोड देने से पक्षकार भिन्न होने का कथन कर पोषनीय नहीं रहता है तथा पूर्व वाद के लम्बित रहते पश्चातवर्ती वाद धारा 10 के तहत स्थगित किये जाने योग्य है। इसलिये विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश निरस्त किया जाकर वाद संख्या 115/2 को पूर्व वाद के निर्णय तक स्थगित किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें। जबाब में अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि दोनों वादों के तथ्य भिन्न हैं तथा पक्षकार भिन्न हैं इसलिये धारा 10	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./1546/2006/पाली</u>** **श्रीमती कमला व अन्य बनाम रतन सिंह व अन्य**	
	जाब्ता दीवानी के प्रावधान लागू नहीं होते हैं इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश विधिसम्मत है निगरानी खारिज की जावे। हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वाद संख्या 115/02 रतन सिंह की ओर से कमला वगैरा के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है जो घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत है। दूसरा वाद संख्या 77/96(सहवन से 74/96 अंकित किया गया है) वह मोहम्मद शफी द्वारा गुमान सिंह वगैरा के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। वाद संख्या 115/02 में मोहम्मद शफी पक्षकार नहीं है। दोनों वादों में पक्षकार भिन्न भिन्न हैं तथा तथ्य भी भिन्न भिन्न हैं तथा प्रकरण में वादी पक्ष की ओर से साक्ष्य भी प्रस्तुत की जा चुकी है। अतः पक्षकारों की भिन्नता एवं प्रकरण के तथ्यों में भिन्नता होने के कारण इस मामले में धारा 10 जाब्ता दीवानी के प्रावधान लागू नहीं होतें हैं। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 जाब्ता दीवानी को खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में यह निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सतीश चन्द्र गोदारा)** **सदस्य**	